कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

झारखण्ड सरकार

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar,
ईमेल/Email: cf-medininagar@gov.in
दूरभाष/ Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

पत्रांक 1239 /

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

दिनांक 23/5/19 /

विषय : बीराटोली–टोरी से महुआमिलान में फ्लाईओवर निर्माण हेतु 2.537 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 809 दिनांक 17.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बीराटोली–टोरी से महुआमिलान में फ्लाईओवर निर्माण हेतु 1.278 हे0 अधिसूचित वन भूमि एवं 1.259 हे0 जंगल झाडी (Deemed forest) के रूप में अंकित भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव 7 (सात) प्रति में समर्पित किया गया है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 23.05.2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित की गयी। स्थल निरीक्षण के क्रम में आपके अतिरिक्त रेलवे के श्री बिनोद कुमार सिंह, सहायक अभियंता, कंस्ट्रक्शन्स, टोरी एवं अनेक वनकर्मी तथा रेलवेकर्मी स्थल पर उपस्थित थे। इस क्रम में वनभूमि के सभी छः पैच में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ पाया गया।इसी क्रम में समर्पित प्रस्ताव को सूक्षमता से जाँच के दौरान प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी (Land Schedule) में अधिसूचित वन भूमि और जंगल झाडी भूमि में भी भिन्नता पायी गयी। इस भिन्नता के साथ प्रस्ताव को अग्रसारित करना संभव नहीं है।

अतः प्रस्ताव की 7 (सात) प्रतियां वापस करते हुए निदेशित किया जाता है कि Part-II में आवश्यक परिमार्जन कर Check List के साथ प्रस्ताव पुनः शीघ्र समर्पित करें, ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
23/5/19
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

23/5/19